**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2591**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

 **राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों में कमी**

**2591. श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों की संख्या में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय कैडेट कोर की कुल संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा चलाया जाता है, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की मौजूदा नीति क्या है और देश की शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): जी, नहीं ।

(ख): एनसीसी यूनिटों की कुल संख्या इसके साथ अनुबंध में संलग्न है ।

(ग): देश के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

1. विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है क्योंकि पूरी लागत केंद्र सरकार राज्य सरकार अथवा संबंधित संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है ।
2. विभिन्न लाभों/छूट के लिए ए, बी एवं सी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं;-
3. उच्चतर शिक्षा
4. रोजगार

…2/-

-2-

1. राज्य सरकार भी एनसीसी प्रमाण पत्र रखने वाले कैडेटों को लाभ प्रदान करती है।
2. सशस्त्र सेनाओं में चयन में प्राथमिकता दी जाती है।
3. कैडेटों को रॉक क्लाइबिंग, पर्वतारोहण इत्यादि जैसे साहसिक कार्यकलापों पर भेजा जाता है ।
4. चयनित एनसीसी कैडेटों को एसएसबी और वैयक्तिक विकास के लिए कोचिंग दी जाती है।
5. हथियार चलाने, घुड़सवारी, हल्की उड़ानों(माइक्रो लाईट्स) के लिए अवसर दिया जाता है ।
6. एनसीसी यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के माध्यम से देश के भीतर अन्य राज्यों और विदेशों में भ्रमण के अवसर प्रदान किए जाते हैं ।

**राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों में कमी के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 2591 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**30 सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार एनसीसी के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों के ब्यौरे**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्य** | **संस्थानों की संख्या** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 854 |
| 2 | तेलंगाना | 577 |
| 3 | बिहार | 510 |
| 4 | झारखंड | 262 |
| 5 | दिल्ली | 422 |
| 6 | गुजरात | 816 |
| 7 | दीव-दमन  | 5 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 5 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 372 |
| 10 | कर्नाटक | 933 |
| 11 | गोवा | 60 |
| 12 | केरल | 822 |
| 13 | लक्षद्वीप | 8 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 911 |
| 15 | छत्तीसगढ़ | 318 |
| 16 | महाराष्ट्र | 1,363 |
| 17 | अरुणाचल प्रदेश | 62 |
| 18 | असम | 532 |
| 19 | मणिपुर | 108 |
| 20 | मेघालय | 101 |
| 21 | मिजोरम | 61 |
| 22 | नागालैंड | 154 |
| 23 | त्रिपुरा | 66 |
| 24 | उड़ीसा | 921 |
| 25 | पंजाब | 743 |
| 26 | हरियाणा | 520 |
| 27 | हिमाचल प्रदेश | 365 |
| 28 | चंडीगढ़ | 48 |
| 29 | राजस्थान | 677 |
| 30 | तमिलनाडु | 1,214 |
| 31 | पुदुचेरी | 58 |
| 32 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 26 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 1,361 |
| 34 | उत्तराखंड | 370 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 871 |
| 36 | सिक्किम | 101 |
|  | **कुल** | **16,597** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*\*\*\*